

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 05/2023 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री रोशन लाल रेगर पुत्र जगन्नाथ रेगर
निवासी रतनपुरा, तहसील आसीन्द,
जिला भीलवाड़ा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 10-03.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 04.01.2023 को प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या 60 एफ 534931 के साथ एक आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा को दिनांक 15.11.2022 को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 381 दिनांक 07.02.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना तैयार कर कार्यालय तहसीलदार, आसीन्द के पत्रांक भू.अ./2022/380 दिनांक 07.02.2023 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में नियमानुसार निस्तारण करें।

आदेश आज दिनांक 10.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी

किया गया।



(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा